



C.No-24217.

A.D.No-41
RS-105.00.

37 राजनगा विधान सभा

निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

विधान सभा

(सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए

रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग -क

मैं लाल पासवान **पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री देवेंद्र पासवान आयु 42 वर्ष, जो
शाम - कुनवा, पो. - समरी, गावा - मुर्वेड
राजनगा, जिला - मुधुबनी, (बिहार)

(डाक का पूरा

पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-

(1) मैं आर्यन भारतीय सिप्लिमा पार्टी (**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

(**जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम 37 राजनगा बिहार विधान सभा (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं० 110 के क्रम सं. पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. 84 0784 0381 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) सुनी है।

Solemnly affirmed/declared By

Lal Paswan

Who has been Identified by

Sri/Smt. R. K. Jha

Sanjeev Kumar Jha
NOTARY MADHUBANI (BIHAR)

(1)



(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति :

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपए में)
1	स्वयं	शुन्प	शुन्प	शुन्प
2	पति या पत्नी	शुन्प	शुन्प	शुन्प
3	आश्रित-1	शुन्प	शुन्प	"
4	आश्रित-2	शुन्प	शुन्प	शुन्प
5	आश्रित-3	शुन्प	शुन्प	शुन्प

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं। यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	शुन्प
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	शुन्प
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शुन्प
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	शुन्प
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	शुन्प
(च)	क्या समी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोक दी गई है/हैं	शुन्प



1.8.14

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है
{पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न}:-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	<u>शून्य</u>
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है।	<u>शून्य</u>
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के ब्यौरे	<u>शून्य</u>

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/ नहीं दिया गया है:

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा :

नम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	<u>शून्य</u>
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	<u>शून्य</u>
(ग)	अधिरोपित दंड	<u>शून्य</u>
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/ है। यदि हाँ, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	<u>शून्य</u>



1.8.14

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ :

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं०, रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3- सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4- यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 75 क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 - रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथक्तया दिए जाने हैं।

क्रम.सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i)	हाथ में नकदी					
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	कैड बैंक कॉलिंग, मुंबई (बैंक सं०) 33730100- 005988 जमा रकम रु० 500/-	शुन	शुन	शुन	शुन
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शुन	शुन	शुन	शुन	शुन
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखितों में विनिधान और रकम	भारतीय जीवन बीमा निगम मुंबई बीमा सं० - 500000/- बीमा प्रीमियम - 10000/- शुन	शुन	शुन	शुन	शुन
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास					



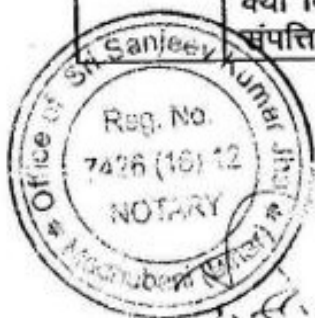
	आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि ऋणों/हित का मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ix)	समग्र कुल मूल्य	₹-185000/-	₹-140000/-	शून्य	शून्य	शून्य

आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1 -संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 -प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथक्तया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम.सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियों) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)					
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	5.56	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	₹-100000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य			
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य			
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य			
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य			
(iii)	वणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	शून्य	शून्य			
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य			
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य			
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य			
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य			
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य			
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य			
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य			
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	मूल्य नगरीय विनियमन शून्य	शून्य			
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	२३६८	शून्य			
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	२३६८	शून्य			
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हां	शून्य			
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य			
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य			
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य			



1.8.14

	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	₹ 2,00,000/-	₹ 2,00,000/-		
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	₹ 2,00,000/-	₹ 2,00,000/-		
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	₹ 3,00,000/-	₹ 3,00,000/-		

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण :- कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक के सम्पन्न रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्रम.सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	₹ 2,00,000/-	₹ 2,00,000/-			
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	₹ 2,00,000/-	₹ 2,00,000/-			
	कोई अन्य दायित्व	₹ 2,00,000/-	₹ 2,00,000/-			
(ii)	दायित्वों का कुल योग					
	सरकारी शोध्य :					
	सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	₹ 2,00,000/-	₹ 2,00,000/-			
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	₹ 2,00,000/-	₹ 2,00,000/-			
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	₹ 2,00,000/-	₹ 2,00,000/-			
	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	₹ 2,00,000/-	₹ 2,00,000/-			
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	₹ 2,00,000/-	₹ 2,00,000/-			
	आय-कर शोध्य	₹ 2,00,000/-	₹ 2,00,000/-			
	धनकर शोध्य	₹ 2,00,000/-	₹ 2,00,000/-			
	सेवाकर शोध्य	₹ 2,00,000/-	₹ 2,00,000/-			
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	₹ 2,00,000/-	₹ 2,00,000/-			
	विक्रयकर शोध्य	₹ 2,00,000/-	₹ 2,00,000/-			



1.8.14.

	कोई अन्य शोध	सुन	सुन			
(iii)	सभी सरकारी शोधों का कुल योग	सुन	सुन			
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वर्तित रकम और उस प्राधिकारी जिसके सम्मिल यह लंबित है का वर्णन करें।	सुन	सुन			

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं सज्जरी

(ख) पति या पत्नी गृहणी

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है :- मैट्रिक कक्षा
राजस्थान, भारत
कक्षा - 12
साल - 1970

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/ डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दे)

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गए ब्यौरे का उद्धरण

1.	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कुं <u>लाल पासवान</u>
2.	डाक का पता	<u>ग्राम - कुनवा, को. समरी</u> <u>जिला - राजगढ़, को. गुरुमुखी</u>
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	<u>उन राजगढ़, बिहार</u>
4.	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	<u>अखिल भारतीय माओवादी पार्टी</u>
5.	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	<u>सुन</u>
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने सजा सुना ली है	<u>सुन</u>

1.8.14

	(ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न)			
6.	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	शून्य		
7.		का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय
	(क) अम्यर्थी	शून्य	शून्य	
	(ख) पति या पत्नी	शून्य	शून्य	
	(ग) आश्रित	शून्य	शून्य	

8.	आस्तियों और दायित्वों के बारे (रुपए में)					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क.	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)					
ख.	स्थावर आस्तियां					
I	स्वअर्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	शून्य	शून्य			
II	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	शून्य	शून्य			
III	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	शून्य	शून्य			
	(क) स्वअर्जित आस्तियाँ (कुल मूल्य)	शून्य	शून्य			
	(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	3000000/-	शून्य			



1.8.14

9.		दायित्व					
	(i)	सरकारी शोध (कुल)	शुद्ध	शुद्ध			
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शुद्ध	शुद्ध			
10.		ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं	शुद्ध	शुद्ध			
	(i)	सरकारी शोध (कुल)	शुद्ध	शुद्ध			
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शुद्ध	शुद्ध			

11. उच्चतम शैक्षिक अर्हता : मैट्रिक अलीगढ़
इ. ए. ए. भाग 1 में उच्च विद्यालय कली (म. ग. 1990)
मधुबनी, अलीगढ़ वर्ष - 1990

(प्रमाण पत्र/ डिप्लोमा/ डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/ विश्वविद्यालय/ शिक्षा, विद्यालय/ महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है।

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 1/8/2014 को सत्यापित किया गया।

लाल पासरा



Identify the document who has
Signed put. L/R T.I. in my presence

Rajesh Kumar
Advocate 1/8/14

1.8.14

टिप्पण—

1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3:00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण—

2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के सम्मक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के सम्मक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण—

3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण—

4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण—

5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण—

6. शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

'मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायें है/हैं.....

मेरा ई-मेल आई० डी० (अगर कोई हो) है.....

एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है.....

टिप्पण—

7. शपथ पत्र के पारा 8 में वित्तीय संस्थानों के प्रति दायित्वों में विदेशी बैंकों/संस्थाओं में जमा/निवेश सहित सूचना दें।